मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 4 मार्च, 2004 (फाल्गुन 14, 1925)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 50 प्रश्नों के उत्तर तथा 69 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

झाबुआ जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में श्री रामलखन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री राजेश पटेल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, श्री राजनारायण सिंह पुरनी तथा श्री हरिबल्लभ शुक्ला, सदस्य की स्थगन प्रस्ताव की सचूनाएं प्राप्त हुई जिनमें से श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की मांग को लेकर गर्भगृह में आ गये तथा नारेबाजी करते रहे)

(व्यवधान होने के कारण स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सके)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने जांच आयोग अधिनियम-1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 (4) की अपेक्षानुसार भोपाल एवं उज्जैन दंगा जांच आयोग का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2000 द्वारा न्यायमूर्ति श्री के.के. दुबे, एकल सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखा.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य ने सतना जिले में कृषकों से खरीदी गई धान का उठाव न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य व्यवधान होने के कारण अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर क्षेत्र के ग्राम बैभाड़ा में स्वीकृत बांध का कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु निजी नलकूप खनन कराने के लिये अनुदान न दिये जाने,

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से कई ग्राम डूब में आने,

(4) श्री हमीद काजी, सदस्य की बुरहानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में दूषित मध्यान्ह भोजन से बच्चे बीमार होने,

(5) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया, सदस्य की सागर जिले के समस्त विकास खंडों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत कराये गये विकास कार्यों में असमानता होने,

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल स्थित शासकीय आवासों में विद्युत मोटर बाहर लगाये जाने में लापरवाही से कार्य किये जाने,

(7) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोरमी, मेहगांव एवं अन्य नगरों में खाद्यान्न सामग्री की कालाबाजारी होने,

(8) श्री राजेन्द्र शुक्ला, सदस्य की रीवा जिले में ओला एवं बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न दिये जाने,

(9) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की इटारसी वि.स. क्षेत्र के सुहागपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरूमखेड़ी से पामली मार्ग की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने, तथा

(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पेयजल समस्या होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम कोनी से पैपखरा,पोखरा,तलटी एवं रूपौली में विद्युत लाईन डाले जाने, तथा

(ख) ग्राम चौरा स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) डॉ. कमलापत आर्य, सदस्य की भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंध नदी के लिघोरा (भिटोरा), सेकरी (पांच) तथा बारकरी तट पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम नादनेर स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) बनवारी-पिपरिया कलां मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने,

(4) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) हनुमना-शाहपुर-बहुतीफाल मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने,

(ख) ग्राम बहेरा डाबर से पिपराही एवं पिपराही से जड़कुड़ तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पिपराही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम पिपराही में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(5) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम रैगांव में पुलिस थाना खोले जाने,

(ख) रैगांव-करतरा-सिंहपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम कोठी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम कोठी में महाविद्यालय खोले जाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मन्दसौर जिले के सीतामऊ नगर में महाविद्यालय खोले जाने,

(7) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम नई गढ़ी को तेन्दुआ-देवतालाब सड़क से जोड़े जाने,

(8) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के ग्राम हिनौती के पंडितान टोला से गड़रिया तालाब तक सड़क बनाये जाने, एवं

(9) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम सागौनी स्थित प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

7. वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान उपस्थापित किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 5 मार्च 2004 को 2 घंटे का समय नियत किया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की मांग को लेकर गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

व्यवधान होने के कारण 11.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2004 (फाल्गुन 15, 1925) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.